न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 202/2022
किशोर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह दत्तक पुत्र भंवर सिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठडा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––आवेदक

बनाम

1. दमयन्ती कंवर, आर0ए0एस0 हाल न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
2. (1) महेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र 51 साल, निवासी ग्राम गोठडा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
2. (1) कमलेश कंवर पुत्री गुमान सिंह पत्नि औंकार सिंह, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम रसीदपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

–– अनावेदकगण

– – –

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0 एक्ट 1955 बाबत इजराय संख्या 01/2022 इजराय उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं आगामी पेशी 20.05.2022

– – –

उपस्थितः–
1. श्री कुलदीप सिंह शेखावत, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, एडवोकेट– अनावेदक सं0 2 (1) की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. अनावेदक सं0 2 (2) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 10.10.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि दावा अ0धा0 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह मु0न0 170/2002 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा दिनांक 27.09.2007 को निर्णय व डिक्री पारित कर अप्रार्थी सं0 2 को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी सं0 2 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर मे उपरोक्त निर्णय को अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 24.07.2013 को अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के निर्णय दिनांक 27.09.2007 को यथावत रखा गया। अनावेदक सं0 2 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 24.07.2013 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल डी0बी0 बैंच, अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 24.07.2013 को यथावत रखा गया। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर डी0बी0 बैंच के निर्णय दिनांक 25.08.2021 की पालना हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं मे दिनांक 12.01.2022 को एक इजराय पेश की गई जो इजराय सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:43 IST
Reason: SelfAttested

01/2022 इजराय उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह है। उक्त इजराय मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 नियत है। उक्त इजराय प्रस्तुत होने के उपरान्त इजराय मे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.04.2022 को मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पेश होने के बाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं मे दिनांक 09.05.2022 को अन्तिम बहस सुनी गई है। अन्तिम बहस होने के पश्चात् उपरोक्त इजराय मे निर्णय पारित किया जाना था परन्तु अन्तिम बहस के बाद भी निर्णय हेतु अदालत मातहत द्वारा आगामी पेशी दिनांक 20.05.2022, 30.05.22 व उसके पश्चात् दिनांक 20.06.2022 नियत की गई है। उपरोक्त उनवानी इजराय/प्रकरण मे बार बार तारीख पेशी अनावेदक सं0 2 के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 20.05.2022 पर सुनवाई किये जाने का बार बार निवेदन करने के बावजूद अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदक की कोई सुनवाई नही की जा रही है तथा प्रकरण मे जानबूझकर देरी कर अनावेदक सं0 2 को लाभ दिये जाने के लिए अनावेदक सं0 1 द्वारा अनावेदक सं0 2 के कहे अनुसार बार बार लम्बी तारीख पेशी दी जा रही है व प्रकरण का निस्तारण नही किया जा रहा है। गत पेशी दिनांक 30.05.2022 को अनावेदक सं0 2 ने आवेदक को ऐलानिया धमकी दी कि हमारी अनावेदक सं0 1 से बात हो गई है। हम हमारी मर्जी के अनुसार ही प्रकरण मे आगामी कार्यवाही करवायेगें। आप कुछ नही कर सकते। इस प्रकार आवेदक को अंदेशा है कि प्रकरण का निर्णय करने मे अनावेदक सं0 1 द्वारा जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि अनावेदक सं0 2 को अनुचति लाभ दिलाया जा सके। इस कारण अनावेदक सं0 2 को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए न्याय के मूल भूत सिद्वान्तों की अवहेलना की जा रही है व आवेदक को न्याय प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है। इस कारण आवेदक की ओर से आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र इजराय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं इजराय संख्या 01/2022 उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह आगामी तारीख पेशी 20.06.2022 को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे ताकि आवेदक को न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ ने पत्रांक 208 दिनांक 24.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा मे दिनांक 12.01.2022 को प्रकरण सं0 01/2022 को दर्ज कर ईजराय की पालना करने हेतु तहसीलदार नवलगढ को न्यायालय पत्रांक/राजस्व/2022/69 दिनांक 14.02.2022 के साथ निर्णय दिनांक 29.09.2007 की प्रति प्रेषित कर निर्णय की पालना अन्दर सात दिवस मे भिजवाये जाने हेतु लिखा जा चुका था। तत्पश्चात् दिनांक 25.04.2022 को अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय [illegible] किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 के [illegible]लाफ प्रस्तुत व राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे विचाराधीन रिट पीटिशन संख्या CW/13232/20[illegible] [illegible] सिंह बनाम किशोर सिंह का अन्तिम निर्णय पारित होने तक और [illegible] अधिकारी, नवलगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 के अन्तिम निर्णय होने तक [illegible] कार्यवाही को रोका जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थी की ओर से दिनांक 26.04.2022 जबाब प्रार्थना पेश [illegible] पर पत्रावली दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी की बहस अन्तिम सुनी जाकर पत्रावली को वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2022 को तारीख पेशी नियत की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 20.05.2022 को राजकीय भ्रमण से सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:43 IST
Reason: SelfAttested

आयोग, जयपुर मे उपस्थित होने से उक्त दिवस को न्यायालय कार्य नही होने पर पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 30.05.2022 को नियत की गई। परन्तु दिनांक 30.05.202 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फोलोअप शिविर ग्राम पंचायत भीमसर मे होने पर उक्त दिवस को आदेश नही लिखाया जा सका। तत्पश्चात् प्रकरण मे प्रार्थना पत्र की बहस सुने 15 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो चुका था जिसकी पुनः मजीद बहस होनी है। वर्तमान मे पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को नियत है एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे उक्त आदेश के संबंध मे CW/13232/2021 के माध्यम से प्रकरण विचाराधीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इजराय के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही मे विलम्ब नही किया गया है। न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवामे सादर प्रेषित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दावा अ0धा0 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह मु0न0 170/2002 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा दिनांक 27.09.2007 को निर्णय व डिकी पारित कर अप्रार्थी सं0 2 को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी सं0 2 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर मे उपरोक्त निर्णय को अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 24.07.2013 को अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के निर्णय दिनांक 27.09.2007 को यथावत रखा गया। अनावेदक सं0 2 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 24.07.2013 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल डी0बी0 बैंच, अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 24.07.2013 को यथावत रखा गया। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, डी0बी0 बैंच के निर्णय दिनांक 25.08.2021 की पालना हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं मे दिनांक 12.01.2022 को एक इजराय पेश की गई जो इजराय सं0 01/2022 इजराय उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह है। उक्त इजराय मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 नियत है। उक्त इजराय प्रस्तुत होने के उपरान्त इजराय मे पटवारी हल्का द्वाराा दिनांक 24.04.2022 को मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पेश होने के बाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं मे दिनांक 09.05.2022 को अन्तिम बहस सुनी गई है। अन्तिम बहस होने के पश्चात् उपरोक्त इजराय मे निर्णय पारित किया जाना था परन्तु अन्तिम बहस के बाद भी निर्णय हेतु अदालत मातहत द्वारा आगामी पेशी दिनांक 20.05.2022, 30.05.22 व उसके पश्चात् दिनांक 20.06.2022 नियत की गई है। उपरोक्त उनवानी इजराय/प्रकरण मे बार बार तारीख पेशी अनावेदक सं0 2 के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 20.05.2022 पर सुनवा[illegible]न करने के बावजूद अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदक की कोई सुनवाई नही की जा रही है [illegible]ण मे जानबूझकर देरी कर अनावेदक सं0 2 को लाभ दिये जाने के लिए अनावेदक सं0 1 द्वारा अना[illegible]सं0 2 के कहे अनुसार बार बार लम्बी तारीख पेशी दी जा रही है व प्रकरण का [illegible] है [illegible]त पेशी दिनांक 30.05.2022 को अनावेदक सं0 2 ने आवेदक को ऐलानिया धमकी दी कि [illegible] अनावेदक सं0 1 से बात हो गई है। हम हमारी मर्जी के अनुसार ही प्रकरण मे आगामी कार्यवाही करवायेगें। आप कुछ नही कर सकते। इस प्रकार आवेदक को अंदेशा है कि प्रकरण का निर्णय करने मे अनावेदक सं0 1 द्वारा जानबूझकर देरी की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:43 IST
Reason: SelfAttested

रही है ताकि अनावेदक सं0 2 को अनुचति लाभ दिलाया जा सके। इस कारण अनावेदक सं0 2 को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए न्याय के मूल भूत सिद्वान्तों की अवहेलना की जा रही है व आवेदक को न्याय प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है। इस कारण आवेदक की ओर से आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र इजराय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला झुंझुनूं इजराय संख्या 01/2022 उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह आगामी तारीख पेशी 20.06.2022 को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे ताकि आवेदक को न्याय मिल सके।

अप्रार्थी सं0 2 (2) बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 (2) के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अनावेदक सं0 2 (1) ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने प्रकरण मे सुनवाई मे कोई देरी नही की है। इस संबंध मे रेस्पोडेन्ट की अपील विचाराधीन है। प्रकरण मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के चलते अदालत मातहत प्रकरण मे पालना की कार्यवाही नही कर सकती। हमारी पूरी जमीन हमे दिलवाकर प्रार्थी भी अपनी जमीन पूरी ले सकता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। फिर भी आवेदक यदि उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इजराय संख्या 01/2022 उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ इजराय संख्या 01/2022 उनवानी किशोर सिंह बनाम गुमान सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में दिनांक 27.10.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:43 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं